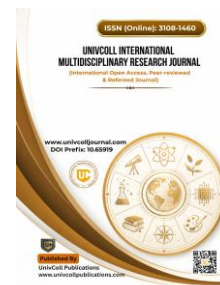


UnivColl International Multidisciplinary Research Journal

Volume 2 | Issue 8, August 2026, 1-7

ISSN (Online): 3108-1460

Homepage: <https://univcolljournal.com>



Title: विवाह एवं विवाह-विच्छेद के बदलते आयाम: हिन्दू एवं मुस्लिम समाज का तुलनात्मक विश्लेषण
Author(s): अरुण कुमार¹, डॉ० सुधीर कुमार जैन²
Affiliation(s): ¹ शोधार्थी, विधि विभाग, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना-485001, मध्य प्रदेश, भारत
² प्राध्यापक एवं शोध-निर्देशक, विधि विभाग, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना-485001, मध्य प्रदेश, भारत
DOI: <https://doi.org/10.65919/uimrj.2025.v1i8001>
History: Received: 05 June 2026, Accepted: 08 July 2026, Published: 10 August 2026
Citation: कुमार, अ., & जैन, स. क. (2026). विवाह एवं विवाह-विच्छेद के बदलते आयाम: हिन्दू एवं मुस्लिम समाज का तुलनात्मक विश्लेषण. *UnivColl International Multidisciplinary Research Journal*, 2(8). 1-7, <https://doi.org/10.65919/uimrj.2025.v1i8001>
Copyright: © 2026 The Author(s)
Licensing:  Open access under CC BY-NC 4.0
Conflict of Interest: The author(s) declare no conflict of interest.
Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Corresponding Author: डॉ. सुधीर जैन ✉
Published By: [UnivColl Publications](https://univcollpublications.com)

विवाह एवं विवाह-विच्छेद के बदलते आयाम: हिन्दू एवं मुस्लिम समाज का तुलनात्मक विश्लेषण

अरुण कुमार

शोधार्थी, विधि विभाग, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना-485001, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ० सुधीर कुमार जैन

प्राध्यापक एवं शोध-निर्देशक, विधि विभाग, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना-485001, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

विवाह मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक है, जो परिवार निर्माण, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक निरंतरता तथा नैतिक मूल्यों के संरक्षण का आधार प्रदान करती है। भारत जैसे बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक देश में विवाह एवं विवाह-विच्छेद से संबंधित व्यवस्थाएँ विभिन्न वैयक्तिक विधियों द्वारा संचालित होती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म में विवाह एवं विवाह-विच्छेद की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा विधिक अवधारणाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में सैद्धांतिक (Doctrinal) एवं तुलनात्मक (Comparative) शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। शोध के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, मुस्लिम वैयक्तिक विधि, प्रमुख न्यायिक निर्णयों, पुस्तकों, शोध-पत्रों तथा विधिक साहित्य का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि हिन्दू विवाह को परंपरागत रूप से एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जबकि मुस्लिम विवाह (निकाह) को एक वैधानिक अनुबंध के रूप में स्वीकार किया जाता है। तथापि दोनों व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य परिवार संस्था की स्थिरता एवं सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण है। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि शिक्षा, नगरीकरण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा न्यायिक सक्रियता ने विवाह एवं विवाह-विच्छेद संबंधी पारंपरिक अवधारणाओं को प्रभावित किया है। शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985), डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001), शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002) तथा शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) जैसे निर्णयों ने महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक न्याय को सुदृढ़ करने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि विवाह-विच्छेद का प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। समग्र रूप से भारतीय वैवाहिक विधि व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता की दिशा में निरंतर विकसित हो रही है।

प्रमुख शब्द (Keywords): विवाह; विवाह-विच्छेद; हिन्दू एवं मुस्लिम वैयक्तिक विधि; लैंगिक न्याय; परिवार विधि सुधार

1. प्रस्तावना –(Introduction)

विवाह मानव समाज की सबसे प्राचीन, सार्वभौमिक एवं महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक है। यह केवल स्त्री एवं पुरुष के मध्य स्थापित वैधानिक अथवा धार्मिक संबंध नहीं है, बल्कि परिवार, समाज एवं संस्कृति की निरंतरता का आधार भी है। भारतीय समाज में विवाह को सामाजिक संगठन की मूल इकाई माना जाता है, जिसके माध्यम से न केवल पारिवारिक जीवन की स्थापना होती है, बल्कि सामाजिक मूल्यों, परंपराओं एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है (Ahuja, 2019)। भारत की बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक संरचना के कारण विवाह एवं विवाह-विच्छेद संबंधी व्यवस्थाएँ विभिन्न धार्मिक समुदायों में भिन्न-भिन्न रूपों में विकसित हुई हैं। हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म में विवाह की अवधारणा, स्वरूप, उद्देश्य तथा विधिक परिणामों में अनेक समानताएँ एवं असमानताएँ विद्यमान हैं, जिनका अध्ययन सामाजिक एवं विधिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है (Diwan, 2023)।

हिन्दू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। वैदिक एवं धर्मशास्त्रीय परंपराओं के अनुसार विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि धार्मिक कर्तव्य एवं आध्यात्मिक उत्तरदायित्व भी है। हिन्दू विवाह का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति माना गया है तथा इसे जीवन के सोलह संस्कारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है (Mulla, 2022)। दूसरी ओर मुस्लिम विधि में विवाह (निकाह) को एक वैधानिक अनुबंध माना जाता है, जिसमें पति एवं पत्नी के मध्य अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। यद्यपि दोनों व्यवस्थाओं की अवधारणात्मक संरचना भिन्न है, तथापि परिवार संस्था की स्थापना एवं सामाजिक स्थिरता दोनों का साझा उद्देश्य है (Mahmood, 2021)।

भारतीय समाज में विवाह की संस्था समय के साथ अनेक परिवर्तनों से गुजरी है। शिक्षा के प्रसार, औद्योगीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रभाव से विवाह संबंधी पारंपरिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया है। आधुनिक समाज में विवाह को केवल धार्मिक या सामाजिक बंधन के रूप में नहीं, बल्कि समानता, सम्मान एवं साझेदारी पर आधारित संबंध के रूप में भी देखा जाने लगा है। इसी प्रकार विवाह-विच्छेद, जिसे कभी सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता था, आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा एवं वैवाहिक न्याय के महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है (Agnes, 2011)।

विवाह-विच्छेद की अवधारणा हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों विधियों में भिन्न ऐतिहासिक आधारों पर विकसित हुई है। हिन्दू विधि में पारंपरिक रूप से विवाह को अविच्छेद्य माना जाता था, किन्तु हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने विवाह-विच्छेद की वैधानिक व्यवस्था प्रदान कर सामाजिक यथार्थ को स्वीकार किया। अधिनियम की धारा 13 में क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार तथा अन्य आधारों पर तलाक की अनुमति दी गई है, जबकि धारा 13-बी के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का प्रावधान किया गया है (Hindu Marriage Act, 1955)। दूसरी ओर मुस्लिम विधि में तलाक, खुला, मुबारत तथा न्यायिक विघटन जैसी व्यवस्थाएँ प्रारंभ से विद्यमान रही हैं। तथापि आधुनिक न्यायिक व्याख्याओं ने तलाक की प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत एवं उत्तरदायी बनाया है (Mahmood, 2021)।

वर्तमान अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों में विवाह संस्था अभी भी सामाजिक जीवन का केंद्रीय आधार बनी हुई है, किन्तु उसके स्वरूप एवं कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। अध्ययन में पाया गया कि विवाह के प्रति दृष्टिकोण में पारंपरिक धार्मिक आधारों के साथ-साथ आधुनिक संवैधानिक एवं मानवाधिकार संबंधी मूल्यों का प्रभाव बढ़ा है। विशेष रूप से शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किया है तथा विवाह संबंधों में समानता की अपेक्षाओं को बढ़ाया है (Ahuja, 2019)।

अध्ययन के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि विवाह-विच्छेद का प्रभाव केवल पति-पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों, परिवार तथा व्यापक सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है। तलाक की स्थिति में भावनात्मक तनाव, मानसिक दबाव, सामाजिक पुनर्समायोजन तथा आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों पर इन प्रभावों की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। शोध में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि तलाक के पश्चात आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक स्वीकृति तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ महिलाओं के समक्ष प्रमुख रूप से उपस्थित रहती हैं (Kapoor, 2018)।

शोध के परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय न्यायपालिका ने विवाह एवं विवाह-विच्छेद संबंधी कानूनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। *Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum* (AIR 1985 SC 945) में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता प्रदान की। इसी प्रकार *Daniel Latifi v. Union of India* ((2001) 7 SCC 740) ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। *Shamim Ara v. State of U.P.* ((2002) 7 SCC 518) में न्यायालय ने एकतरफा एवं मनमाने तलाक पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि *Shayara Bano v. Union of India* ((2017) 9 SCC 1) में तत्काल तीन तलाक (Triple Talaq) को असंवैधानिक घोषित किया गया। इन निर्णयों ने यह सिद्ध किया कि न्यायपालिका ने व्यक्तिगत विधियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 में निहित समानता, गरिमा एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया है।

शोध की विवेचना से यह निष्कर्ष भी प्राप्त हुआ कि हिन्दू एवं मुस्लिम वैवाहिक व्यवस्थाओं में अनेक वैचारिक एवं प्रक्रियात्मक अंतर होने के बावजूद दोनों व्यवस्थाएँ क्रमशः संवैधानिक मूल्यों की दिशा में अभिसरण (Convergence) कर रही हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा मुस्लिम वैयक्तिक विधि से संबंधित न्यायिक सुधारों ने महिलाओं के अधिकारों, भरण-पोषण, संरक्षकता एवं वैवाहिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारतीय वैवाहिक कानून केवल धार्मिक परंपराओं पर आधारित नहीं रह गए हैं, बल्कि सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणाओं से भी प्रभावित हो रहे हैं (Saxena, 2023)।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के संदर्भ में अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि यह विषय भारतीय विधिक एवं सामाजिक विमर्श का महत्वपूर्ण भाग बना हुआ है। एक ओर इसे लैंगिक समानता एवं विधिक एकरूपता का माध्यम माना जाता है, जबकि दूसरी ओर धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की दृष्टि से सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता बताई जाती है। शोध के निष्कर्ष संकेत करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में वैयक्तिक विधियों के भीतर क्रमिक एवं संवैधानिक सुधार अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रतीत होते हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन यह स्थापित करता है कि हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म में विवाह एवं विवाह-विच्छेद की व्यवस्थाएँ भारतीय समाज की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं, किन्तु आधुनिक संवैधानिक मूल्यों, न्यायिक सक्रियता तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से दोनों व्यवस्थाएँ अधिक समानतामूलक, न्यायोन्मुख एवं मानव-केंद्रित स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। यही इस शोध का केंद्रीय प्रतिपाद्य एवं प्रमुख निष्कर्ष है।

2. सामग्री और विधियाँ (Material and Methods)

प्रस्तुत शोध “विवाह एवं विवाह-विच्छेद के बदलते आयाम : हिन्दू एवं मुस्लिम समाज का तुलनात्मक विश्लेषण” विषय पर आधारित एक वर्णनात्मक (Descriptive), विश्लेषणात्मक (Analytical) एवं तुलनात्मक (Comparative) अध्ययन है। इस शोध में मुख्यतः सैद्धांतिक (Doctrinal Research Method) पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक स्रोतों में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, मुस्लिम वैयक्तिक विधि, मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 तथा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन किया गया। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, शोध-पत्र, जर्नल लेख, विधि आयोग की रिपोर्टें, सरकारी प्रकाशन तथा ऑनलाइन विधिक डेटाबेस सम्मिलित हैं।

अध्ययन का उद्देश्य हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म में विवाह एवं विवाह-विच्छेद की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रभावों तथा न्यायिक विकास का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। प्राप्त तथ्यों का गुणात्मक (Qualitative) विश्लेषण कर निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। यह शोध सामाजिक, आर्थिक एवं विधिक दृष्टिकोणों को समेकित करते हुए विषय का व्यापक मूल्यांकन करता है।

3. परिणाम एवं विवेचना (Results and Discussion)

प्रस्तुत शोध में हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म में विवाह एवं विवाह-विच्छेद की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अध्याय 3 से अध्याय 10 तक के विश्लेषण से प्राप्त परिणाम यह दर्शाते हैं कि भारत की वैयक्तिक विधि व्यवस्था धार्मिक विविधता पर आधारित होने के बावजूद संवैधानिक मूल्यों, न्यायिक व्याख्याओं तथा सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव में निरंतर विकसित हो रही है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों में विवाह को परिवार संस्था की आधारशिला माना जाता है, किन्तु इसकी वैचारिक एवं विधिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। हिन्दू धर्म में विवाह परंपरागत रूप से एक धार्मिक संस्कार माना गया है, जबकि मुस्लिम विधि में निकाह को एक वैधानिक अनुबंध के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद दोनों व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य सामाजिक स्थिरता, पारिवारिक संरक्षण तथा वैध दाम्पत्य संबंधों की स्थापना है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि आधुनिक भारत में विवाह की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। न्यायालयों ने विवाह को केवल धार्मिक बंधन के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा तथा समानता से जुड़े अधिकार के रूप में भी देखना प्रारंभ किया है। हाल के न्यायिक दृष्टिकोणों में यह स्वीकार किया गया है कि विवाह संस्था को सामाजिक यथार्थ एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता के अनुरूप समझा जाना चाहिए।

विवाह-विच्छेद संबंधी विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों विधियों में तलाक की व्यवस्था समय के साथ अधिक न्यायसंगत एवं संवैधानिक होती गई है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार तथा पारस्परिक सहमति जैसे आधारों पर तलाक की व्यवस्था प्रदान की, जबकि मुस्लिम विधि में तलाक, खुला, मुबारत तथा न्यायिक विघटन जैसी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। न्यायिक हस्तक्षेपों ने दोनों व्यवस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि न्यायपालिका ने वैवाहिक कानूनों में लैंगिक न्याय स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। *Shah Bano*, *Daniel Latifi*, *Shamim Ara* तथा *Shayara Bano* जैसे मामलों ने महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ किया तथा विवाह-विच्छेद के क्षेत्र में पुरुष-प्रधान परंपराओं पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित किया। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण, तलाक तथा वैवाहिक गरिमा से संबंधित अधिकारों को न्यायालयों द्वारा विस्तारित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका ने धार्मिक विधियों और संवैधानिक समानता के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

सामाजिक प्रभावों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि विवाह एवं विवाह-विच्छेद का प्रभाव केवल पति-पत्नी तक सीमित नहीं रहता बल्कि संपूर्ण परिवार तथा सामाजिक संरचना पर पड़ता है। विवाह सामाजिक स्थिरता, उत्तराधिकार, सामाजिक पहचान तथा सांस्कृतिक निरंतरता का आधार है। दूसरी ओर विवाह-विच्छेद परिवार की संरचना में परिवर्तन लाता है तथा कई बार सामाजिक पुनर्समायोजन की प्रक्रिया को जन्म देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तलाक को अभी भी सामाजिक रूप से नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसकी स्वीकार्यता अपेक्षाकृत अधिक है। शिक्षा, महिला रोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता ने इस परिवर्तन को गति प्रदान की है।

महिलाओं की स्थिति के संबंध में अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि वैधानिक सुधारों एवं न्यायिक निर्णयों के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यद्यपि हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों विधियों में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनेक

प्रावधान उपलब्ध हैं, फिर भी सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक निर्भरता तथा विधिक जागरूकता का अभाव महिलाओं के लिए न्याय प्राप्ति में बाधक बनते हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की वैधानिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा न्यायपालिका ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

बच्चों पर विवाह-विच्छेद के प्रभावों का अध्ययन दर्शाता है कि पारिवारिक विघटन का बच्चों के मानसिक, शैक्षणिक तथा भावनात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह भी पाया गया कि अत्यधिक संघर्षपूर्ण एवं हिंसात्मक वैवाहिक संबंधों की तुलना में वैधानिक एवं शांतिपूर्ण विवाह-विच्छेद कई परिस्थितियों में बच्चों के हित में अधिक अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इसलिए आधुनिक न्यायिक दृष्टिकोण में “बालक के सर्वोत्तम हित” (Best Interest of Child) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

आर्थिक विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विवाह-विच्छेद का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक रूप से निर्भर पक्ष पर पड़ता है, जो अधिकांश मामलों में महिलाएँ एवं बच्चे होते हैं। भरण-पोषण, निर्वाह-भत्ता तथा संपत्ति संबंधी अधिकार आर्थिक सुरक्षा के प्रमुख साधन के रूप में उभरकर सामने आए हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा मुस्लिम महिलाओं से संबंधित न्यायिक निर्णयों ने आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद व्यावहारिक स्तर पर भरण-पोषण आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आर्थिक पुनर्वास की समस्या अभी भी बनी हुई है।

अध्ययन का एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि भारतीय वैवाहिक विधियों का विकास केवल विधायिका द्वारा नहीं बल्कि न्यायपालिका, सामाजिक आंदोलनों तथा नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों से हुआ है। विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों ने विवाह, तलाक, भरण-पोषण तथा विवाह पंजीकरण संबंधी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैवाहिक कानून एक गतिशील क्षेत्र है जो सामाजिक परिवर्तनों के साथ निरंतर विकसित हो रहा है।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के संदर्भ में अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि यह विषय केवल विधिक प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विमर्श का भी महत्वपूर्ण भाग है। एक पक्ष इसे लैंगिक समानता एवं विधिक एकरूपता का माध्यम मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौती के रूप में देखता है। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्तिगत विधियों के भीतर संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप क्रमिक सुधार (Gradual Reforms) अधिक व्यावहारिक एवं स्वीकार्य विकल्प प्रतीत होते हैं।

समग्र रूप से अध्ययन यह स्थापित करता है कि हिन्दू एवं मुस्लिम विवाह एवं विवाह-विच्छेद संबंधी व्यवस्थाएँ अपनी ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि में भिन्न होने के बावजूद वर्तमान समय में संवैधानिक समानता, लैंगिक न्याय, मानव गरिमा तथा सामाजिक न्याय की दिशा में अभिसरण (Convergence) की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। न्यायिक सक्रियता, विधिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा तथा सामाजिक जागरूकता ने इस परिवर्तन को गति प्रदान की है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत की वैवाहिक विधि व्यवस्था का भविष्य धार्मिक बहुलवाद और संवैधानिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने में निहित है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक स्थिरता तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की समवर्ती पूर्ति संभव हो सके।

4. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म में विवाह एवं विवाह-विच्छेद की अवधारणाएँ ऐतिहासिक, धार्मिक एवं विधिक दृष्टि से भिन्न होने के बावजूद परिवार संस्था की स्थिरता, सामाजिक व्यवस्था तथा वैध वैवाहिक संबंधों की स्थापना को समान महत्व प्रदान करती हैं। हिन्दू धर्म में विवाह को संस्कार के रूप में तथा मुस्लिम विधि में निकाह को अनुबंध के रूप में स्वीकार किया गया है, किन्तु दोनों व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य पारिवारिक जीवन का संरक्षण है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा न्यायिक सक्रियता के प्रभाव से विवाह एवं विवाह-विच्छेद संबंधी कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। Shah Bano v. Mohd. Ahmed Khan (1985),

Daniel Latifi v. Union of India (2001), Shamim Ara v. State of U.P. (2002) तथा Shayara Bano v. Union of India (2017) जैसे निर्णयों ने महिलाओं के अधिकारों तथा लैंगिक न्याय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि विवाह-विच्छेद का प्रभाव केवल पति-पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों, परिवार तथा समाज पर भी पड़ता है। इसलिए वैवाहिक कानूनों का उद्देश्य केवल वैवाहिक संबंधों का विनियमन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानव गरिमा तथा पारिवारिक कल्याण सुनिश्चित करना भी है। समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय वैवाहिक विधि व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों, लैंगिक समानता तथा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में निरंतर विकसित हो रही है।

Author's Declaration & Publication Consent:

The author(s) declare that the manuscript is original, accurate to the best of their knowledge, and does not knowingly infringe any copyright, privacy, or other third-party rights. All necessary permissions, ethical approvals, disclosures, and consents, where applicable, have been obtained. The author(s) accept responsibility for the content, data, interpretations, conclusions, authorship, and compliance with applicable research and publication ethics. Any conflicts of interest and funding sources have been appropriately disclosed. The author(s) authorize the Journal and Publisher to publish and disseminate the article under the Creative Commons AttributionNoncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

संदर्भ सूची

1. एग्रेस, फ्लाविया (2011). फैमिली लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम्स। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. 2 आहूजा, राम (2019). भारतीय सामाजिक व्यवस्था (7वाँ संस्करण)। जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
3. दीवान, पारस (2023). मॉडर्न हिन्दू लॉ (29वाँ संस्करण)। इलाहाबाद: इलाहाबाद लॉ एजेंसी।
4. महमूद, ताहिर (2021). मुस्लिम लॉ इन इंडिया एंड अब्रॉड। नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी।
5. मेन्स्की, वर्नर (2020). कम्परेटिव पर्सनल लॉज़ इन साउथ एशिया। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. मुल्ला, डी. एफ. (2022). प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ (22वाँ संस्करण)। नागपुर: लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्थ्स।
7. सक्सेना, पूनम प्रधान (2023). फैमिली लॉ लेक्चर्स : फैमिली लॉ-II (6वाँ संस्करण)। गुरुग्राम: लेक्सिसनेक्सिस।
8. देसाई, कुमुद एवं देसाई, कुसुम (2020). इंडियन लॉ ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। गुरुग्राम:
9. कपूर, ईशा (2018). “शाह बानो से शायरा बानो तक: मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विकास।” जर्नल ऑफ फैमिली एंड एडॉप्शन लॉ, खंड 5, अंक 2, पृ. 45–62।
10. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज (2020). “महिला अधिकार एवं भारतीय वैयक्तिक विधि व्यवस्था : हिन्दू एवं मुस्लिम विधियों के विशेष संदर्भ में।” खंड 3, अंक 4, पृ. 606–623।
11. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च (2025). “भारत में हिन्दू एवं मुस्लिम वैयक्तिक विधियों के अंतर्गत विवाह एवं विवाह-विच्छेद का तुलनात्मक अध्ययन।” खंड 6, अंक 2, पृ. 115–140।
12. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (2017). “भारत में मुस्लिम परिवार विधि एवं लैंगिक असमानता : विधिक परिवर्तनों का अध्ययन।” लॉ एंड सोशल इन्कायरी, खंड 42, अंक 4, पृ. 1125–1150। लेक्सिसनेक्सिस।
13. मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, AIR 1985 SC 945।
14. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, (1995) 3 SCC 635।
15. डेनियल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2001) 7 SCC 740।
16. शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2002) 7 SCC 518।
17. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2006) 5 SCC 475।
18. गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल, (2009) 1 SCC 42।
19. शबाना बानो बनाम इमरान खान, AIR 2010 SC 305।

20. शबनम हाशमी बनाम भारत संघ, AIR 2014 SC 1281।
21. शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2017) 9 SCC 1।
22. शफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम., (2018) 16 SCC 368।
23. जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, (2019) 3 SCC 39।
24. विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, (2020) 9 SCC 1।

Publisher's Note:

The statements, opinions, findings, interpretations, and conclusions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Journal, its Editors, Editorial Board, reviewers, or Publisher. Responsibility for the accuracy, integrity, and scholarly content of the article rests primarily with the author(s). The Journal, Editors, and Publisher exercise reasonable editorial and ethical oversight in accordance with the Journal's established policies. However, to the extent permitted by applicable law, they shall not be responsible for any consequences arising from the use, application, or interpretation of the information contained in the article. The Publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

